रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1406] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2015/आषाढ़ 10, 1937
No. 1406] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2015/ASHADHA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

का.आ. 1787(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 484(अ), तारीख 20.02.2014 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के 42.000 कि.मी. से 177.000 कि.मी. (खेड़–सिन्नार सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV बी के अधीन, डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) टोल आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के 42.000 कि.मी. से 177.000 कि.मी. तक खेड़–सिन्नार सेक्षन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्षन" संदर्भित किया गया है) का चार लेन में विकास करने तथा उक्त सेक्षन के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 22.03.3013 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसर्स खेड़ सिन्नार एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आइएल एण्ड एफएस फाइनेंषियल सेन्टर, प्लॉट संख्या सी–22, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई–400051, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 08.05.2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 05.12.2008 द्वारा प्रकाषित किया गया था, के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संषोधन नियम, 2010 जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 03.12.2010, द्वारा प्रकाषित किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संषोधन नियम, 2011 जिसे सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12.01..2011, द्वारा प्रकाषित किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संषोधन नियम, 2011 जिसे सा.का.नि. 756(अ) तारीख 12.10.2011 द्वारा प्रकाषित किया गया था के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में निहित था, निवेषित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 106.166 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) तथा 31.780 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, जैसी भी स्थिति हो, अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर जो बाद

में हो, उक्त नियमों तथा पूर्वोक्त करार के प्रावधानों के अध्यधीन और उनके अनुसार, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है:

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	40.991 (खेड़ बाइपास, मन्चर बाइपास, कालम्ब बाइपास, नारायणगांव बाइपास, अल्फटा बाइपास और बोटा बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
138.749 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 135.500 कि.मी.) (अहमदनगर जिले में हीवरगांव पावसा गांव के पास)	65.175 [नांदूर षिंनगोटे बाइपास की लम्बाई को छोड़कर तथा स्टेज II के 9. 219 कि.मी. (विद्यमान संगमनेर बाइपास*) को शामिल करते हुए]	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*** संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही अनुसूची ख के अनुसार संगमनेर बाइपास से संबंधित कार्यो के लिए रियायत करार के अनुच्छेद 14 और 15 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् ही विद्यमान संगमनेर बाइपास (9.129 कि.मी.) शुल्क उद्ग्रहीत करने तथा सामान्य टोल दर पर संग्रहीत करने का हकदार होगा।**

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागतवाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (ओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (ओं) के लिए बाइपासों की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपासों के नाम	बाइपासों की लम्बाई (कि.मी. में) और नाम जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी.)	लागत रुपए (करोड़ में)	
91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	रारा–50 के खेड़ बाइपास के 42.067 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 42.067 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 46.981 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 45.834 कि.मी.) पर मिलते हुए	4.914	96.98	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	रारा–50 के मंचार बाइपास के 59.939 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 59.200 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 67.406 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 65.527 कि.मी.) पर मिलते हुए	7.467	69.65	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	रारा–50 के कालाम्ब बाइपास के 68.576 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 66.729 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 72.396 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 70.025 कि.मी.) पर मिलते हुए	3.820	40.81	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	रारा–50 के नारायणगांव बाइपास के 76.046 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 73.650 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 81.239 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 79.023 कि.मी.) पर मिलते हुए	5.193	59.92	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	रारा—50 के अल्फटा बाइपास के 91.956 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 89.626 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 96.149 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 93.478 कि.मी.) पर मिलते हुए	4.193	49.41	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
91.106 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 88.800 कि.मी.) (पुणे जिले में चालकवाड़ी गांव के पास)	रारा—50 के बोटा बाइपास के 102.837 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 100.200 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 105.255 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 102.545 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.418	35.68	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
138.749 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 135.500 कि.मी.) (अहमदनगर जिले हीवरगांव पावसा गांव के पास)	रारा—50 के नंदूर षिनगोटे बाइपास के 161.984 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 159.755 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 165.759 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 162.970 कि.मी.) पर मिलते हुए	3.775	39.92	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015—16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की समय से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के ड्राइवर या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट—प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से'—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा और इसके पश्चात् इसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और प्रकाषित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार के संषोधन की तारीख से 6 (छह) मास की अवधि के भीतर कोई संषोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भारराप्रा/13013/780/सीओ/15—16/जीसी/खेड़—सिन्नार सेक्षन—बीओटी]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2015

S.O. 1787(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 484(E), dated 20.02.2014, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 42.000 to km 177.000 (Khed – Sinnar Section) of National Highway No. 50 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 08.05.2013 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Khed Sinnar Expressway Limited having its registered office at The IL&FS Financial Centre, Plot No.. C-22, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai–400051, Maharashtra (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 22.03.2013 for the development of Khed - Sinnar Section from km 42.000 to km 177.000 on National Highway No. 50 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning and operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-IVB on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide GSR 838(E) dated 05.12.2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 published vide GSR 950(E) dated 03.12.2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 published vide GSR 15(E) dated 12.01.2011 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 published vide GSR 756(E) dated 12.10.2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 106.166 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 31.780 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	40.991 (excluding length of Khed Bypass, Manchar Bypass, Kalamb Bypass, Narayangaon Bypass, Alephata Bypass and Bota Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 138.749 (design chainage) (existing chainage km 135.500) (near Hivargaon Pavsa village in Ahmednagar district)	65.175 [excluding length of Nandur Shingote Bypass and including 9.219 km of Stage II (existing Sangamner Bypass)*]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*** For the avoidance of doubt, it is clarified that the Concessionaire shall be entitled to levy fee and collect on the normal toll rate for the existing Sangamner Bypass (9.219 km) only after the fulfillment of requirements stipulated in Article 14& 15 of the Concession Agreement for the works pertaining to Sangamner Bypass as per Schedule B.**

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	Khed Bypass taking off at km. 42.067 (design chainage) (existing chainage km 42.067) and joining at km. 46.981 (design chainage) (existing chainage km 45.834) of NH-50	4.914	96.98	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	Manchar Bypass taking off at km. 59.939 (design chainage) (existing chainage km 59.200) and joining at km. 67.406 (design chainage) (existing chainage km 65.527) of NH-50	7.467	69.65	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	Kalamb Bypass taking off at km. 68.576 (design chainage) (existing chainage km 66.729) and joining at km. 72.396 (design chainage) (existing chainage km 70.025) of NH-50	3.820	40.81	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	Narayangaon Bypass taking off at km. 76.046 (design chainage) (existing chainage km 73.650) and joining at km. 81.239 (design chainage) (existing chainage km 79.023) of NH-50	5.193	59.92	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	Alephata Bypass taking off at km. 91.956 (design chainage) (existing chainage km 89.626) and joining at km. 96.149 (design chainage) (existing chainage km 93.478) of NH-50	4.193	49.41	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 91.106 (design chainage) (existing chainage km 88.800) (near Chalakwadi village in Pune district)	Bota Bypass taking off at km. 102.837 (design chainage) (existing chainage km 100.200) and joining at km. 105.255 (design chainage) (existing chainage km 102.545) of NH-50	2.418	35.68	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 138.749 (design chainage) (existing chainage km 135.500) (near Hivargaon Pavsa village in Ahmednagar district)	Nandur Shingote Bypass taking off at km. 161.984 (design chainage) (existing chainage km 159.755) and joining at km. 165.759 (design chainage) (existing chainage km 162.970) of NH-50	3.775	39.92	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the

toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/780/CO/15-16/GC/Khed- Sinnar Section–BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.